कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/28/2026

श्री सोमसिह तोमर एड0 निवासी 192 दीनदयाल नगर कॉलोनी भरतपुर जिला भरतपुर मो.नं.8560091888

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.05.2026**

अपीलार्थी सोमसिह तोमर एड0 निवासी 192 दीनदयाल नगर कॉलोनी भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दिंनाक 28.04.2026 को दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/330 दिनांक 15.05.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर ने अपने पत्र क्रमांक:सतर्कता/सू.का.अ./2026/332 दिंनाक 18.05.2026 से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसे लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि सोमसिह तोमर का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन के

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर.टी.आई. अपील / 28 / 2026
एड. सोमसिंह तोमर बनाम लो.सू.अ. प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग

संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2025 के संदर्भ में की गई कार्यवाही बाबत् इस कार्यालय के पत्रांक सतर्कता/डीएमजेएस/608/2025/4461 दिनांक 06.11.2025 से कोषाधिकारी भरतपुर को एवं पत्रांक पत्रांक 4460 दिनांक 06.11.2025 से जिला रसद अधिकारी को परिवाद में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना भिजवाये जाने हेतु लिखा गया था। जिस बाबत् कोषाधिकारी भरतपुर एवं जिला रसद अधिकारी से प्राप्त जबाबो के संदर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी को पत्रांक 716 दिनांक 30.03.2026 से अवगत कराया जाकर वाछिंत सूचना हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर परिवाद का निरीक्षण कर सूचना चिन्हित कर शुल्क जमा कराये जाने हेतु इनको लिखा गया है। परन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी आज दिनांक तक सूचना चिन्हित कर शुल्क जमा कराये जाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। जिसमें लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने कोई त्रुटि नहीं की है।

अस्तु अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी/प्रार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्दर 15 दिवस किसी भी कार्य दिवस में सतर्कता अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर में उपस्थित होकर चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण कर चाही गई सूचना चिन्हित कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण कराया जाकर, चिन्हित की गई सूचना नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध कराई करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलै0 भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर